



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042023-245201
CG-DL-E-17042023-245201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945

No. 97]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

सं. 06/2023

विषय: परिशिष्ट-2क के तहत अनुलग्नक-IV (भारत-यूआई सीईपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटे के अंतर्गत मदों का आयात) में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/01/एम-22/पीसी-2(ख)/ई-31419.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक सूचना सं. 06/2015-20 दिनांक 01.05.2022, 23/2015-20 दिनांक 29.08.2022, 28/2015-20 दिनांक 06.10.2022, 32/2015-20 दिनांक 22.10.2022 और 47/2015-20 दिनांक 29.12.2022 के क्रम में महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा भारत-यूआई सीईपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटे के तहत मदों के आयात हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए परिशिष्ट-2क के अनुलग्नक-IV को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

2. परिशिष्ट-2क के अनुलग्नक-IV के तहत शर्त (छ) (i से vi) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:—

क्र. सं.	पूर्व के प्रावधान	संशोधित प्रावधान
छ.	7108 के तहत सोने के टीआरक्यू हेतु निम्नलिखित शर्तों पर अतिरिक्त रूप से विचार किया जाएगा; i. पात्र आवेदक अभूषण विनिर्माता होना चाहिए।	<< हटा दिया गया है >>

	ii. पात्र आवेदक आईटीसी (एचएस) के अध्याय 71 में आईटीसी (एचएस) कोड 7108, 7113, 7114 और 7118 के तहत आने वाली वस्तुओं का व्यवसाय करने वाला होना चाहिए। iii. ऐसे आभूषण विनिर्माता का वार्षिक टर्न-ओवर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में औसतन 25 करोड़ रुपए होना चाहिए। iv. ऐसे आभूषण विनिर्माताओं का टर्न-ओवर या तो - एचएस कोड 7113 के तहत विनिर्मित किए गए/बेचे गए मर्चें के 90% को समाविष्ट करता हो अथवा - एचएस कोड 7113 के तहत विनिर्मित किए गए/बेचे गए मर्चों की ऐसी मात्रा को समाविष्ट करता हो जो एचएस कोड 7113 के तहत संबंधित आभूषण विनिर्माता (प्रति वर्ष अनुमत टीआरक्यू आबंटन की अधिकतम सीमा तक) द्वारा कम-से-कम टीआरक्यू मात्रा बोली के बराबर हो। v. ऐसे आभूषण विनिर्माता के पास जीएसटी संख्या होनी चाहिए और उन्होंने पिछले जीएसटी रिटर्न फाइल करने की लागू अवधि तक जीएसटी रिटर्न फाइल किया हो। vi. पात्र आवेदक के वार्षिक टर्न-ओवर युक्त वित्तीय विवरण आभूषणकर्ता की जीएसटी घोषणा के आधार पर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित/लेखापरीक्षित किया हुआ होना चाहिए।	
--	--	--

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारत-यूएई सीईपीए के टीआरक्यू के तहत एचएस कोड 7108 के अंतर्गत सोने के आयात हेतु विनिर्माता आवश्यकता के संबंध में शर्त (छ) को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 20/2023-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2023 के समकालीन बनाते हुए हटा दिया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th April 2023

No. 06/2023

Subject: Amendments in Annexure-IV under Appendix-2A (Imports of Items under TRQ under India- UAE CEPA).

F. No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/E- 31419.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023 and in continuation to Public Notice No. 06/2015-20 dated 01.05.2022, 23/2015-20 dated 29.08.2022, 28/2015-20 dated 06.10.2022, 32/2015-20 dated 22.10.2022 and 47/2015-20 dated 29.12.2022, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends Annexure-IV of Appendix-2A laying down the procedure for import of items under TRQ under India – UAE CEPA, as under:

2. Condition (g)(I to vi) under Annexure-IV of Appendix-2A, shall be amended as under:

Sl. No.	Earlier Provision	Amended Provision
g.	For Gold TRQ under 7108, the following conditions shall be considered additionally: i. Eligible Applicant must be a jewellery manufacturer. ii. Eligible Applicant must be engaged in the business of goods falling under ITC(HS) codes 7108, 7113, 7114 and 7118 in Chapter 71 of ITC(HS). iii. Such Jewellery manufacturer should have an average annual turnover of Rs. 25 crores over the last 3 financial years. iv. The turnover of such Jewellery manufacturer should either: comprise of 90% of items manufactured/sold under HS code 7113, or	<<Deleted>>

	comprise of a quantity of items manufactured/sold under HS code 7113 which is at least equal to the TRQ quantity bid by the respective jewellery manufacturer (capped to the maximum TRQ allocation permissible per annum) under HS code 7113. v. Such Jewellery manufacturer should have a GST number and should have filed GST returns up to the applicable preceding GST return filing period. vi. Financial statements containing annual turnovers of the eligible applicant should be duly certified/audited by a Chartered Accountant, on the basis of the jewellers GST declarations.	
--	--	--

Effect of this Public Notice: Condition (g) regarding manufacturer requirement for import of Gold under HS code 7108 under the TRQ of India UAE CEPA has been waived off in sync with Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification, No. 20/2023-Customs, dated 31st March 2023.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.